

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

क्रमा-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
24	88,89,90,91,92,188,53 RTA	कोटडीसूण्डा	बारां
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
राजेन्द्र कुमार	बनाम	नवल किशोर वगै०	
वकील :-	श्री बाबूलाल जैन एड०	आदेश पत्रक	वकील:-
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश		विविध संदर्भ

10.06.2024

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91, 92,188,53 आर.टी. एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्याया० में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.07.2024 को पेश हो।

[Handwritten signature]

25-7-24

नीतासीन अधिका० श्री *[Signature]* द्वारा
 में रहने से पूर्ववत दिनांक 31-7-24
 को प्रस्तुत की.

[Handwritten signature]

उप खण्ड अधिकारी करी

31-7-24

पत्रावली पेश हुई वकील करी उपा वकील करी
 प्रकरण को आज पत्रावली नहीं माहने की
 प्रकरण को Not Press है खसिड कराना माहने
 की करी का का Not Press है खसिड किया
 कारण की पत्रावली केवल खसिड कराने का
 समीप वकील करी द्वारा दफ्तार हो

Not Press
 25-7-24

T.d.
[Handwritten signature]

